न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 61/2016 **दायरा दिनांक : 08.02.2016**

उनवान

माणक लाल आत्मज श्री प्यारेलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम कादरपुरा, तहसील छबड़ा, जिला बारां राज.

.... अपीलांट

बनाम

1– रमेश चन्द आत्मज गेंदिया, जाति मीणा, निवासी ग्राम घट्टा

2– कैलाश आत्मज श्री गेंदिया,

3– गुड्डी बाई पुत्री गेंदिया

निवासीगण ग्राम घट्टा, तहसील छबड़ा, जिला बारां (राज0)

4– छोटेलाल आत्मज अमरलाल, जाति मीणा निवासी घट्टा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5– रामदयाल आत्मज भोलाराम, जाति मीणा, निवास ग्राम घट्टा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री दीनानाथ गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री महेश शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 3 की ओर से

शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

निर्णय **दिनांक : 26.12.2022**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय उपजिला कलेक्टर, छबड़ा के प्रकरण संख्या 104/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया।

3 प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया था कि खसरा नम्बर 202 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा वाके माल घट्टा, तहसील छबड़ा, जिला बारां में स्थित है। जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा है एवं खसरा नम्बर 210/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भी वादीगण के स्वयं की कब्जे काश्त की भूमि माल घट्टा में स्थित है। जिसको प्रतिवादी कम 1 रेस्पोडेंट कम 4 को पांती काश्त पर दे रखी थी। किन्तु उसने मुनाफा देना बन्द कर दिया तथा प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 रेस्पोडेंट कम 5 व अपीलांट भूमि पर काबिज है तथा इस आशय की डिक्री चाही कि जमीन का बंटवारा किया जाकर प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 अर्थात् रेस्पोडेंट कम 4 व 5 तथा अपीलांट को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जावे ।

4 रेस्पोडेंट कम 4 ने जवाब में काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया, अपीलांट ने जवाबदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कम 2 व 4 बावजूद

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलांट ने जवाब के साथ अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था तथा न्यायालय ने बहस सुनने के बाद यह जानते हुए कि उक्त आराजियात पर रेस्पोडेंट कम 1 का विधिवत कब्जा है धारा 188 का दावा डिक्री कर दिया तथा बिना कोई नियम 18 से 21 राजस्व अधिनियम की पालना किये बिना विभाजन की डिक्री पारित कर दी एवं कब्जा दिलाने के आदेश दे दिये जिससे अप्रसन्न होकर निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की गयी :–

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये। और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

अपील के बिन्दु निम्न प्रकार से है।

5.1 यह कथन किया कि ग्राम घट्टा, तहसील छबड़ा, जिला बारां की आराजी खाता संख्या 25 की खसरा नम्बर 202 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा एवं आराजी खाता संख्या 80 की खसरा नम्बर 210/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा स्थित है, जिसे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

5.2 अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5.3 अपीलांट ने अपने जवाबदावे से प्रमाणित कर दिया था कि खसरा नम्बर 210/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा अपीलांट के पास स्वयं वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने 26000/– रूपये में रहन की थी। इस प्रकार खसरा नम्बर 210 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा पर खातेदार माना गया, शेष 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि वादीगण रेस्पोडेंट कम 1 के खाते की है जो नहर में चली गई, जिसका मुआवजा भी रेस्पोडेंट कम 1 ने उठाया है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

इस प्रकार अपीलांट नाजायज रूप से रेस्पोडेंट के खाते की 6 बीघा भूमि में से हिस्सा लेना चाहता है, जो त्रुटिपूर्ण है।

5.4 रेस्पोडेंट कम 1 ने अपने वाद को साबित नहीं किया है व साक्ष्य में शपथ पत्र तो प्रस्तुत किया, किन्तु जिरह में तीन चार तारीखें देने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही राजस्व रेकार्ड के दस्तावेजात प्रदर्शित हुए उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री कर दिया, जो निरस्तनीय है।

5.5 अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के आदेश को आधार बिन्दु मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है जबकि धारा 212 राज0 टीनेन्सी एक्ट में यह आदेश दिया था कि जब तक प्रकरण का निर्णय नहीं हो जाये 2000/– रूपये प्रति बीघा से प्रतिवर्ष अपीलांट माणक लाल जमा करावे तो कब्जा उसका रहेगा जिसके अनुसार उक्त सिक्योरिटी राशि भी 2016 तक जमा की हुई थी। उसके बावजूद भी बिना किसी प्रमाण के रिसीवरयुक्त कम 1 लगायत 3 के पक्ष में जारी कर दिया गया, जो त्रुटिपूर्ण है।

5.6 अपीलांट ने कथन किया है कि नकल आदेश में जो हवाला दिया वह त्रूटिपूर्ण है, क्योंकि दावा बंटवारे का भी है इसलिए बंटवारे से पूर्व उसकी प्रारम्भिक डिक्री पारित की जानी चाहिए थी, डिक्री के बाद उसका कब्जा दिलाया जाना चाहिए था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा दिलाया जाकर प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी, जो राजस्व नियम 18 से 21 के विरूद्ध है।

5.7 अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये थे उनको अनदेखा करके सरसरीतौर पर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 निरस्त

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

किया जावे। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय की आर्डरशीट समस्त दस्तावेजों को देखा गया। वाद में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने चार तनकीयात कायम की। उभयपक्षों की बहस को सुना गया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में चार तनकी बनाई जो निम्न प्रकार है :–

(I) तनकी नं. 1 :क्या वाद पत्र के मद नम्बर 1 व 2 में वर्णित आराजी वादीगण के खातेदारी कब्जेकाश्त की थी, प्रतिवादी नम्बर 1 को पांति दी थी। ..... वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबंदी सम्वत 2060–2063 ग्राम घट्टा खाता संख्या 80 व 25 उपलब्ध है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

(II) तनकी नं. 2 : क्या उक्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ने प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 को मुनाफे पर दे दी थी।..... प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण ने कोई ठोस दस्तावेज अपने पक्ष के समर्थन में पेश नहीं किये हैं । इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

(III)तनकी नं. 3 : क्या प्रतिवादी नम्बर 3 माणकलाल के पास प्रतिवादी नम्बर 1 ने उक्त भूमि रहन रखी थी।

..... प्रतिवादी

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण ने कोई ठोस दस्तावेज एवं गवाह भी अपने पक्ष के समर्थन में पेश नहीं किये हैं । इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

(IV)तनकी नं. 4 : क्या वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी नम्बर 1 का कोई दखल नहीं है। ..... प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण ने कोई सबूत अपने पक्ष के समर्थन में पेश नहीं किये हैं। इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

6. हमने उभयपक्षों की बहस सुनी व बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अद्योपान्त अध्ययन किया गया ।

7. अपील के बिन्दु संख्या 1 – अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से पूर्ण रूपेण साबित होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है।

8. अपील के बिन्दु संख्या 2 – अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि 20/– रूपये के स्टाम्प में छोटे लाल पुत्र अमरा, जाति मीणा, साकिन घट्टा, तहसील छबड़ा द्वारा आलेखित

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

किया है जिससे उक्त बिन्दु की पुष्टि होती है इस प्रकार उक्त दस्तावेज से यह कहीं पर साबित नहीं होता है कि वादग्रस्त आराजी पांती पर दे रखी थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है।

9. अपील के बिन्दु संख्या 3 – (I) अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डरशीट दिनांक 14.10.2015 में अंकित है कि वकुलाय फरीकेन उप0। साक्ष्य वादी रमेश बाबूलाल के शपथ पत्र पेश किया। नकल वकील प्रतिवादी को दी गयी, वास्तु जिरह नियत दिनांक 4.11.2015 को पेश हो।

(II) दिनांक 4.11.2015 की आर्डरशीट में अंकित है कि आज पीठासीन अधिकारी के दौरे/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 18.11.2015 को पेश हो।

(III) दिनांक 18.11.2015 की आर्डर शीट में अंकित है कि वकुलाय उप0 वादी वकील ने बताया उप0 गवाह नहीं। अतः जिरह बन्द की जाकर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी साक्ष्य दिनांक 2.12.2015 को पेश हो।

(IV) दिनांक 2.12.2015 की आर्डर शीट में अंकित है कि वकुलाय फरीकेन उप. है। वकील प्रतिवादी की ओर से गवाह माणक लाल का शपथ पत्र पेश हुआ। वकील वादी जिरह हेतु समय चाहता है। समय दिया जाकर पत्रावली वास्तु जिरह प्रतिवादी दिनांक 9.12.2015 को पेश हो।

(V) दिनांक 9.12.2015 की आर्डर शीट में अंकित है कि वकुलाय फरी.उप.। जिरह हेतु समय चाहा नियत आगामी दिनांक 18.12.2015

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

को अंतिम बहस हेतु पेश हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जिरह का पर्याप्त अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है जो सही है।

10. अपील के बिन्दु संख्या 4 – अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के आदेश को आधार बिन्दू मानकर निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

11. अपील के बिन्दु संख्या 5 – अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है। इस प्रकार यह बिन्दू का निर्णय भी सही पारित किया है।

12. अपील के बिन्दु संख्या 6 – अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये थे उनको अधीनस्थ न्यायालय ने अवलोकन एवं अध्ययन करके निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते हैं ।

13. इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर मनन कर वादीगण का वाद स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 का काउंटर क्लेम खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

14. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 यथावत रखा जाता है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

15 निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/12/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

माणक लाल आत्मज श्री प्यारेलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम कादरपुरा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– रमेश चन्द आत्मज गेंदिया, जाति मीणा, निवासी ग्राम घट्टा
2– कैलाश आत्मज श्री गेंदिया,
3– गुड्डी बाई पुत्री गेंदिया
निवासीगण ग्राम घट्टा, तहसील छबड़ा, जिला बारां (राज0)
4 छोटेलाल आत्मज अमरलाल, जाति मीणा निवासी घट्टा, तहसील छबड़ा, जिला बारां
5 रामदयाल आत्मज भोलाराम, जाति मीणा, निवास ग्राम घट्टा, तहसील छबड़ा, जिला बारां
6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 61/2016 एवं
मु.द.नं0 104/2012

नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, छबडा
निर्णय व डिक्री दिनांक – 22.12.2015

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 12 माह 12 सन् 2022

हाजरी **श्री दीनानाथ गालव** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं **श्री महेश शर्मा** अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से उपस्थित, शेष रेस्पोंडेंट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **26** माह **12** सन् **2022** को जारी किया गया ।

मोहर

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)